न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 84/2024

बलवन्तराम बनाम नेतराम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — प्रार्थी(प्रतिवादी 1 ता 4)
2. श्री बलराम सुथार अधिवक्ता — अप्रार्थी(वादी)

–:: आदेश ::– दिनांक :– 18.10.2024

वकील उभयपक्ष द्वारा बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. समाहित की जा चुकी है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं.1 ता 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी. पी.सी. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण की भूमि चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत करने की मांग की गई है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ता का जुड़ाव (मिलान) किसी स्वीकृत/कटाणी रास्ता से नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ता से स्वीकृत रास्ता 5 बीघा यानि 825 फीट दूरी पर है, नियमानुसार रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जब उसका मिलान (जुड़ाव) किसी स्वीकृत रास्ता से होता हो। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि यह रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जब पहले प्रार्थीगण पीछे से रास्ता स्वीकृत करावें। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा दोनों साईड कृषि भूमि के बीच में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि अधूरा एवं दोषपूर्ण (Defective) होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। इस चक के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 की सीमा तक स्वीकृत कटाणी रास्ता है। (जिसका उल्लेख तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में हैं) इसके उत्तर में मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6, 5 तथा मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 25 का रकबा प्रार्थीगण के परिवार के सदस्यों का रकबा है। इस तथ्य को प्रार्थीगण ने न्यायालय से छुपाया है तथा प्रार्थीगण इसी रकबा में से अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 16 में बड़ी आसानी से आ जा रहें है, उनके पास अपने रकबा में आने आने का उपयुक्त विकल्प मौजूद है। चूंकि प्रार्थीगण ने स्वीकृत रास्ता से 825 फीट छोड़कर रास्ता की मांग की है, इसलिए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र से ही जाहिर है कि प्रार्थीगण के पास उनके रकबा में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जबकि धारा 251–क (प) आर टी ए के अनुसार रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है कि "रास्ता की आवश्यकता आत्यांतिक होनी चाहिए और यह जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हो।" इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251–क आर टी ए के विपरीत है। प्रार्थीगण ने सारवान तथ्यों को छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, प्रार्थीगण क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र राजनैतिक रंजिशवश व अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के इरादे से प्रस्तुत किया है, जो इसी स्तर पर भारी जुर्माने के साथ निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में चरण संख्या 4, चरण संख्या 7 व अनुतोष खण्ड में अंकित किया है कि चाहा गया रास्ता की भूमि दिनांक 22.02. 2011 को जरिये इकरारनामा रास्ता के लिए खरीद की हुई है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने इकरारनामा के आधार पर माननीय न्यायालय से अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है। हालांकि प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली के साथ जो इकरारनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, वह अप्रार्थीगण से संबन्धित नहीं है। फिर भी प्रार्थीगण तथाकथित इकरारनामा के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो वह ऐसा अनुतोष सिविल न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। माननीय न्यायालय को इकरारनामा के आधार पर अनुतोष प्रदान का का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिमसें अंकित तथ्यानुसार चक 20 एलएनपी के मुरब्बा नं. 1 3 के किला नम्बर – 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृति की मांग की गयी जिसके साथ चिपते मुरब्बा नम्बर–18 के किला नम्बर– 1,10, 11,20,21 में ओम प्रकाश पुत्र चेतराम, खेतपाल पुत्र भोमाराम, महावीर पुत्र हजारी राम, कृष्ण लाल पुत्र शिव लाल, गंगा सिंह पुत्र रती राम द्वारा जरिये बैयनामा प्रत्येक बीघा में 1½–1½ बिस्वा रास्ता की भूमि खरीद की गयी है और जमावन्दी में इनके नाम दर्ज है और मौके पर रास्ता चालू है और मुरब्बा नम्बर–18 के किला नम्बर–21 का रास्ता सरकारी रास्ते से जुड़ता है और मुरब्बा नम्बर–13 के किला नम्बर– 1, 10, 11, 20, 21 में 1½– 1½ बिस्वा खाला से चिपता जरिये इकरारनामा खरीद किया हुआ था जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज ना होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा रास्ता स्वीकृत के लिए आवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 के जवाब में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में यह अंकन किया गया कि मुरब्बा नम्बर–13 के किला नम्बर–1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व मुरब्बा नम्बर–18 के किला नम्बर–1,10,11,20,21 में रास्ता स्वीकृत करना पड़ेगा परन्तु रिपोर्ट में उक्त रकबा जरिये बैयनामा खरीद होने का अंकन नहीं किया गया क्योंकि मुरब्बा नम्बर–18 के किला नम्बर–1, 10, 11, 20, 21 में 1½–1½ बिस्वा जरिये बैयनामा रास्ता के लिए खरीद किया हुआ है और रास्ता चालू है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण का रकबा मुरब्बा नम्बर–12 में स्थित है व मुरब्बा नम्बर–13 के किला नम्बर–1, 10,11,20,21 में रास्ता चालू है और खाले पर सरकारी पुलिया भी बनी हुई थी जो कि अप्रार्थीगण द्वारा तोड़ी गयी जिसके खिलाफ कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ एक एफआईआर संख्या–163 दिनांक 21/06/2024 दर्ज करवायी गयी क्योंकि अप्रार्थीगण चालू रास्ता को बन्द करने की फिराक में है और प्रार्थीगण को सबसे छोटा और कम दूरी का रास्ता मुरब्बा नम्बर–13 के किला नम्बर –1, 10, 11, 20, 21 में है। बाकी तथ्य न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत होने पर ही आयेगें इसलिए अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा जरिये इकरारनामा सहमति के आधार पर वर्तमान में चालू रास्ता मुरब्बा नम्बर– 13 के किला नम्बर–1, 10, 11, 20, 21 खरीद किया हुआ था और चालू रास्ता को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है क्योंकि उक्त रकबा रास्ता के लिए ही खरीद किया हुआ था और रास्ता के लिए ही उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है और उक्त रकबा कई काश्तकारों द्वारा अपने खेत में रास्ता के लिए खरीद किया हुआ था और खरीदशुदा रास्ते को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण को लम्बा करने के आश्य से प्रस्तुत किया गया है जो खारिज करने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. यह रही कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण की भूमि चक 20 एल एन पी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत करने की मांग की गई है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ता का जुड़ाव (मिलान) किसी स्वीकृत/कटाणी रास्ता से नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ता से स्वीकृत रास्ता 5 बीघा यानि 825 फीट दूरी पर है, नियमानुसार रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जब उसका मिलान (जुड़ाव) किसी स्वीकृत रास्ता से होता हो। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता किसी सरकार रास्ता से जुड़ाव नहीं होता है और प्रार्थीगण द्वारा मुरबा नम्बर 18 से रास्ता मांगा ही नहीं गया है। प्रार्थीगण मुरबा नम्बर 19 से रास्ता मौजूद है जो कि प्राथीगण के परिवार की भूमि है। प्रार्थीगण के पास उनके रकबा में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251–क आर टी ए के विपरीत है। प्रार्थीगण ने सारवान तथ्यों को छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, इकरारनामा के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो वह ऐसा अनुतोष सिविल न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 क खारिज किया जावे। **वकील प्रार्थीगण की मुख्य जवाब बहस**

खण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

यह रही कि मुरबा नम्बर 24 तक स्वीकृतशुदा रास्ता मौजूद है एवम् मुरबा नम्बर 18 में रास्ता चालू है। प्रार्थीगण की मुरबा नम्बर 12 में जरिए इकरारनामा खरीदशुदा भूमि है। मौके पर रास्ता चल रहा है। अतः रास्ता स्वीकृत किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजता का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता किसी स्वीकृत रास्ता से नहीं जुडता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु मुरबा नम्बर 19 में रास्ता मौजूद है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण के द्वारा जरिए इकरारनामा खरीद की भूमि को रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इकरारारामा के आधार पर रास्ता को स्वीकृत किया जाना राजस्व न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–क राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)